

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ.17(ई)ग्राविप/प्रशा.2/विका.यो./पंचा.शिविर/2016/ 4149 जयपुर, दिनांक: 07.10.2016


जिला प्रभारी अधिकारी (समस्त)

विषय: दिनांक 14.10.2016 से प्रारम्भ हो रहे पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविरों में जिला प्रभारी अधिकारियों की नियमित भागीदारी एवं पर्यवेक्षण बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य की समस्त पंचायत समितियों में प्रत्येक शुक्रवार को दो समीपस्थ पंचायतों में पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविरों का आयोजन दिनांक 14.10.2016 से प्रारम्भ हो रहा है। उक्त शिविरों बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश पंचायती राज विभाग द्वारा जारी कर दिये गये हैं, जो कि पंचायती राज विभाग की वेबसाईट (www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। उक्त शिविरों में ऐसे समस्त विभाग भागीदारी कर रहे हैं जिनसे आमजन को रोजमर्रा के काम पड़ते हैं। उक्त शिविरों का नोडल विभाग पंचायती राज विभाग है।

समस्त जिला प्रभारी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उन्हें आवंटित जिलों में होने वाले पंचायत शिविरों में भाग लेंगे तथा उनका पर्यवेक्षण करेंगे। प्रत्येक जिला प्रभारी को निश्चित अवधि के लिए उन्हें आवंटित जिले में भ्रमण पर जाना होता है। प्रभारी अधिकारीगण से अपेक्षा है कि वे अपना भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार बनाये कि उसमें शुक्रवार का दिन सम्मिलित हो तथा वे जिले के किसी न किसी पंचायत समिति के शिविर में भाग लेंगे। यह शिविर मुख्यालय पर फीडबैक के लिए भी जिला प्रभारी अधिकारीगण की होने वाली बैठक में पंचायत शिविर एक नियमित एजेन्डे के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः प्रत्येक प्रभारी अधिकारी से अपेक्षित है कि वह शिविरों बाबत अपना फीडबैक शिविरों में भी देंगे।


निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।


(सुदर्शन सेठी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
4. जिला कलक्टर, समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. संयुक्त निदेशक(मॉनिटरिंग), पंचायती राज मुख्यालय।
7. सम्पादक, पंचायती राज मुख्यालय, जयपुर।
8. ए.सी.पी./प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव